संख्या-9/678/38-3-2015-1105/2014

प्रेषक,

डा0 हरिश्चन्द्र,
विशेष कार्याधिकारी,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 2015

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-01/बजट/2015-16, दिनांक 21 अप्रैल, 2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संदर्भ में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर-001-निदेशन तथा प्रशासन/102- सामुदायिक विकास के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार रू0 3,59,07,41,000/- मतदेय तथा रू0 4,40,000/- भारित अर्थात कुल धनराशि रू0 3,59,11,81,000/- (रू0 तीन अरब उनसठ करोड़ ग्यारह लाख इक्यासी हजार मात्र) सुसंगत मद में निर्धारित वित्तीय प्राविधानों के अनुसार व्यय हेतु श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि का व्यय शासन द्वारा समय-समय पर जारी होने वाले मिव्ययिता सम्बन्धी दिशा निर्देशों को ध्यान में रख कर किया जाय। इसके अतिरिक्त वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 में दिये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) मानक मद-14 एवं 46 का की स्वीकृति तथा व्यय की अनुमति अभिलेखों के साथ सुसंगत प्रस्ताव प्राप्त होने पर प्रदान की जायेगी।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-13 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-आयोजनेत्तर पक्ष के अन्तर्गत संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार सुसंगत उप लेखा शीर्षक/प्राथमिक इकाइयों के नामे डाली जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च 2015 के निर्देशों के अनुपालन में जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 हरिश्चन्द्र)
विशेष कार्याधिकारी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-9/678(1)/38-3-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखाकार एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. अपर आयुक्त (लेखा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कामता प्रसाद)
अनुसचिव।

http:/ shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखा शीर्षक "2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-03 विकास आयुक्त (मुख्यालय)

मानक मद	बजट व्यवस्था (हजार रू0 में)	जारी की जा रही स्वीकृति (हजार रू0 में)
01-वेतन	47380	23690
03-मंहगाई भत्ता	56856	28428
04-यात्रा व्यय	700	350
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	150	75
06-अन्य भत्ते	5000	2500
08-कार्यालय व्यय	2100	1050
11-लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई	1000	500
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	100	50
13-टेलीफोन पर व्यय	300	150
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	578	00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10000	5000
16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	300	150
42-अन्य व्यय (भारित)	*880*	*440*
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	50
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	500	00
49-चिकित्सा व्यय	3000	1500
51-वर्दी व्यय	62	31
योग (मतदेय)	**128226**	**63574**
योग (भारित)	***880***	***440***

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-001-निदेशन तथा प्रशासन-04- विकास आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालय

मानक मद	बजट व्यवस्था (हजार रू0 में)	जारी की जा रही स्वीकृति (हजार रू0 में)
01-वेतन	44750	22375
03-मंहगाई भत्ता	53700	26850
04-यात्रा व्यय	500	250
05-स्थानान्तण यात्रा व्यय	200	100
06-अन्य भत्ते	5000	2500
08-कार्यालय व्यय	150	75
09-विद्युत देय	1000	500
10-जलकर/जलप्रभार	27	14
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	150	75
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	36	18
13-टेलीफोन पर व्यय	70	35
14-मोटरगाड़ियों का क्रय	2309	00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	680	340

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

17-किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	300	150
29-अनुरक्षण	130	65
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	80	40
45-अवकाश यात्रा व्यय	50	25
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	720	00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय	90	45
49-चिकित्सा व्यय	644	322
51-वर्दी व्यय	90	45
योग	**110676**	**53824**

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-03-मुख्य अधिष्ठान(ब्लाक बजट)

मानक मद	बजट व्यवस्था (हजार रू0 में)	जारी की जा रही स्वीकृति (हजार रू0 में)
01-वेतन	2480970	1240485
03-मंहगाई भत्ता	2977164	1488582
04-यात्रा व्यय	24000	12000
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1200	600
06-अन्य भत्ते	114338	57169
08-कार्यालय व्यय	2000	1000
09-विद्युत देय	8250	4125
10-जलकर/जलप्रभार	40	20
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	820	410
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	820	410
13-टेलीफोन पर व्यय	700	350
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	10128	00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	13750	6875
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	475	238
29-अनुरक्षण	500	250
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2424	1212
45-अवकाश यात्रा व्यय	100	50
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3720	00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	465	233
49-चिकित्सा व्यय	18500	9250
51-वर्दी व्यय	821	411
योग	**5661185**	**2823670**

लेखा शीर्षक 2515-अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम-102-सामुदायिक विकास-06-संग्रहीत जिला कार्यालय

मानक मद	बजट व्यवस्था (हजार रू0 में)	जारी की जा रही स्वीकृति (हजार रू0 में)
01-वेतन	536376	268188
03-मंहगाई भत्ता	643651	321826
04-यात्रा व्यय	2008	1004

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	750	375
06-अन्य भत्ते	35558	17779
08-कार्यालय व्यय	4500	2250
09-विद्युत देय	38650	19325
10-जलकर/जलप्रभार	9149	4575
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	4000	2000
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1000	500
13-टेलीफोन पर व्यय	1436	718
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	11733	00
15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	4779	2390
17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्तव	9232	4616
19-विज्ञापन, विक्री और विख्यापन व्यय	20	10
29-अनुरक्षण	150	75
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100	100
45-अवकाश यात्रा व्यय	200	100
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1196	00
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	200	100
49-चिकित्सा व्यय	7000	3500
51-वर्दी व्यय	483	242
योग	**1312171**	**649673**

रू0 3590741000 (मतदेय)

440000(भारित)

(रू0 तीन अरब उनसठ करोड़ सात लाख इकतालिस हजार मात्र) (मतदेय)

(रू0 चार लाख चालीस हजार मात्र) (भारित)

(कामता प्रसाद)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।